qualifications, as may be prescribed by the State Government, to be nominated by that Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.

3. The Committe may appoint such number of officers and other employees as may be prescribed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court for the efficient discharge of its functions.

4. The officers and other employees of the Committee shall be entitled to such salary and allowances and shall be subject to such other conditions of service as may be prescribed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.

5. The administrative expenses of the Committee shall be defrayed out of the District Legal Aid Fund by the District Authority.

Functions of Taluk Legal Services Committee

11B. The Taluk Legal Services Committee, may perform all or any of the following functions, namely :-

(a) co-ordinate the activities of legal services in the taluk;

(b) organise Lok Adalats within the taluk; and

(c) perform such other functions as the District Authority may assign to it.

CHAPTER IV

ENTITLEMENT TO LEGAL SERVICES

Criteria for giving legal service

12. Every person who has to file or defend a case shall be entitled to legal services under this Act if that person is -

(a) a member of a Scheduled Caste or Scheduled

राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं।

4. समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

5. समिति के प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि में से अदा किए जाएंगे।

तालुक विधिक सेवा समिति के कृत्य

11ख.1. तालुक विधिक सेवा समिति निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात् :-

क. तालुक में विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना,

ख. तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और

ग. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो जिला प्राधिकरण उसे समनुर्दिष्ट करें।

अध्याय 4

विधिक सेवा के लिए हक

विधिक सेवा देने के लिए मानदण्ड

12. प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति :-

क. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।

ख. संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है।

ग. स्त्री या बालक है,

घ. मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है,

ङ. अनुपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की

Tribe;

(b) a victim of traffickin in human beings or begar as referred to in Article 23 of the Constitution;

(c) a woman or a child;

(d) a mentally ill or otherwise disable person;

(e) a person under circumstances of undeserved want such as being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster; or

(f) an industrial workman; or

(g) in custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, or in a juvenile home within the meaning of clause (i) of section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986 in a psychiatric hospital or phychiatric nursing home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Mental Health Act, 1987; or

(h) in receipt of annual income less than rupees Twenty five thousand or such other higher amount as may be prescribed by the State Government, if the case is before a court other than the Supreme Court, and less than rupees Fifty thousand or such other higher amount as may be prescribed by the Central Government, if the case is before the Supreme Court.

Entitlement to legal services

13. 1. Persons who satisfy all or any of the criteria specified in section 12 shall be entitled to receive legal services provided that the concerned Authority is satisfied that such person has a prima facie case to prosecute or to defend.

2. An affidavit made by a person as to his income may be regarded as suficient for making him

दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है, या

च. कोई औद्योगिक कर्मकार है, या

छ. अभिरक्षा में है, जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के (न) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या

ज. ऐसा व्यक्ति है, जो यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो पच्चीस हजार रूपए या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो पचास हजार रूपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है।

विधिक सेवा के लिए हक

13.1. वे व्यक्ति, जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों में से सभी या किसी को पूरा करते हैं, विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे परन्तु यह तब जब कि संबंधित प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास अभियोजित या प्रतिरक्षा करने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला है।

2. किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के बारे में दिया गया शपथपत्र, विधिक सेवा के हक के लिए उसे पात्र बनाने के लिए पर्याप्त माना जा सकेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकरण के पास ऐसे शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न हो।

eligible to the entitlement of legal services under this Act unless the concerned Authority has reason to disbelieve such affidavit.

CHAPTER V

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Grants by the Central Government

14. The Central Government shall, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Central Authority, by way of grants, such sums of meney as the Central Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

National Legal Aid Fund

15. 1. The Central Authority, shall establish a fund to be called the National Legal Aid Fund and there shall be credited thereto-

(a) all sums of money given as grants by the Central Government under section 14;

(b) any grants or donations that may be made to the Central Authority by any other person for the purposes of this Act;

(c) any amount received by the Central Authority under the orders of any court or from any other source.

2. The National Legal Aid Fund shall be applied for meeting-

(a) the cost of legal services provided under this Act including grants made to State Authorities;

(b) the cost of legal services provided by the Supreme Court Legal Services Committee;

(c) any other expenses which are required to be met by the Central Authority.

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

14. केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित विधि में किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुदान के रूप में उतनी धनराशि संदत्त करेगी जितनी केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने के लिए ठीक समझे।

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि

15.1 केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा और उस निधि में निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी, अर्थात् :-

(क) धारा 14 के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदत्त सभी धनराशि,

(ख) कोई ऐसा अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को दिए जाएं,

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई रकम।

2. राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित विधिक सेवाओं के खर्चे, जिसके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण को दिए गए अनुदान भी है,

(ख) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्च,

(ग) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति केन्द्रीय प्राधिकरण से अपेक्षित है।